राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोनः– 2708739 E-mail: rajssa.training@gmail.com फैक्सः– 2701822

क्रमांक : राप्राशिप/जय/प्रशिक्षण/2017–18/ 10603 दिनांकः 15/12/17

प्रधानाचार्य
डाइट, समस्त जिले

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले

विषयः– जिला स्तरीय न्यूपा मार्डयूल आधारित दस (10) दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण के आयोजन के क्रम में।

गत सत्र 2016–17 के शिक्षक प्रशिक्षण की वार्षिक कार्य योजनानुसार प्रथम फेज के 2853 उत्कृष्ट विद्यालयों के 2500 संस्था प्रधानों हेतु लीडरशिप प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सत्र 2017–18 में राज्य के शेष रहे 6778 उत्कृष्ट विद्यालय, जिनमें एबीएल गतिविधि का संचालन किया जा रहा है, के संस्था प्रधान को न्यूपा मॉड्यूल आधारित 10 दिवसीय आवासीय 'नेतृत्व क्षमता विकास' (लीडरशिप) प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाना है। कार्य की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए पत्र के साथ एबीएल गतिविधि हेतु चयनित 6778 विद्यालयों की संलग्न सूची में से किया जाना है। प्रशिक्षण के संचालन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि –

1. अधिकतम नामांकन वाले विद्यालयों का चयन।
2. नवनियुक्त/नव पदस्थापित संस्था–प्रधानों को प्राथमिकता देते हुए परिषद द्वारा जिलेवार आवंटित लक्ष्य के आधार।
3. जिला स्तरीय लीडरशिप प्रशिक्षण दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 से 04 जनवरी, 2018 तक आयोजित किया जाएगा। जिलों पर लक्षित संभागियों की संख्या अधिक होने अथवा आयोजन स्थल पर अन्य समूहों हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष समूह के संभागियों का प्रशिक्षण दिनांक 06 से 15 जनवरी, 2018 संचालित किए जाएंगे।
4. प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए लीडरशिप प्रशिक्षण की तिथियों में जिला स्तर के अधिकारी अथवा स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। जिले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिषद स्तर से अनुमति उपरान्त ही तिथियों में परिवर्तन संभव होगा।
5. प्रशिक्षण आयोजन से पूर्व संभाग मुख्यालय के डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि) पदेन जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, अति0 जिला परि0सम0, प्रशिक्षण प्रभारी (प्रशिक्षण) एवं एसआरजी सदस्यों के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन कर समस्त तैयारियाँ यथा बायोमेट्रिक मशीन, प्रशिक्षण स्थल, शौचालय, आवास स्थल, भोजन, जलपान, दक्ष प्रशिक्षकों की नियुक्ति, सहायक सामग्री एवं प्रोजेक्टर की उपलब्धता इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
6. बीईईओ/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु चयनित संभागियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
7. अनुपस्थित रहने वाले संभागियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्न –

1. प्रशिक्षण आयोजन सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश।
2. जिलेवार संभागियों की संख्या।
3. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की प्रति।

(आनन्दी)
आयुक्त

कमांकः राप्राशिप/जय/प्रशिक्षण/2016/ 10604 दिनांक 15/12/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप निजी सचिव, निदेशक, रमसा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, (न्यूपा)।
5. निजी सचिव, निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सीमेट, गोनेर, जयपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक, समस्त जिला।
8. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्धित कार्मिक को प्रशिक्षण में दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को प्रातः 9:30 बजे उपस्थिति देते हुए पूर्ण अवधि का प्रशिक्षण लेने हेतु पाबन्द करें।
9. रक्षित पत्रावली।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त

www.rajteachers.com

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन:– 2708739 E-mail: rajssa.training@gmail.com फैक्स:– 2701822

क्रमांक : राप्राशिप/जय/लीडरशिप/प्रशिक्षण/ /2017–18/ 10607 दिनांक: 15.12.2017

2017–18 में उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को 10 दिवसीय न्यूपा माड्यूल आधारित 'नेतृत्व क्षमता विकास (लीडरशिप) प्रशिक्षण' संचालन हेतु दिशा–निर्देश

किसी भी विद्यालय के सफल संचालन एवं विकास की ओर बढ़ने में अहम योगदान निर्धारित किए गए निर्देशों की पालना पूर्णतः सुनिश्चित करने के साथ–साथ संस्था प्रधान में कुशल नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षमताओं का होना अत्यधिक आवश्यक है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष की भांति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के शिक्षक प्रशिक्षण मद की वार्षिक कार्य योजनानुसार गत सत्र चयनित किए गए उत्कृष्ट विद्यालयों के अतिरिक्त शेष रहे उत्कृष्ट विद्यालयों में से 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को लीडरशिप प्रशिक्षण दिया जाना है। इन प्रशिक्षणों के सफल एवं प्रभावी परिणामों के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:–

1. परिषद स्तर से निर्धारित जिलेवार संख्या / लक्ष्य के अनुसार ही प्रशिक्षण जिला स्तर पर 10 (दस) दिवसीय पूर्ण रूप से आवासीय संचालित किया जाएगा।
2. उत्कृष्ट विद्यालयों में अधिकतम नामांकन वाले विद्यालयों के साथ–साथ नवनियुक्त/नव पदस्थापित संस्था प्रधान को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता / वरियता दी जाए। प्रशिक्षण में संलग्न सूची के उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधान ही शामिल होंगे।
3. परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के विद्यालयों में से यदि कोई विद्यालय एकीकरण में मर्ज हो गया है अथवा स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है या इन विद्यालयों के संस्थाप्रधानों ने गत वर्षो में लीडरशिप का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो इनके स्थान पर उसी ब्लॉक के अथवा इस ब्लॉक में उत्कृष्ट विद्यालय उपलब्ध न होने की स्थिति में विद्यालयों के नामांकन की वरीयता के आधार पर उसी जिले के अन्य ब्लॉक के उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधान का चयन कर प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यादेश जारी किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में समस्त जिम्मेदारी संबंधित जिले के डीपीसी कार्यालय की होगी।
4. प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से 26 दिसम्बर, 2017 से 04 जनवरी, 2018 के मध्य अनिवार्य रूप से आयोजित किये जाए। जिले पर लक्षित संभागियों की संख्या अधिक होने अथवा आयोजन स्थल पर स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रशिक्षण का द्वितीय समूह 6 से 15 जनवरी, 2018 तक आयोजित किया जाएगा। विदित रहे स्थानीय स्तर पर आयोजन की तिथियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए।
5. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी (संस्था–प्रधान) प्रथम दिवस 9:30 बजे प्रातः प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रशिक्षण बजट का प्रावधान निम्नलिखित प्रकार से है –

प्रशिक्षण दिवस	संभागी संख्या	प्रति संभागी प्रति दिवस भोजन, आवास, प्रोजेक्टर, टीएलएम इत्यादि हेतु बजट	प्रति संभागी कुल व्यय राशि (10 दिवस के लिए)
10 दिवस (आवासीय)	संलग्न सूची अनुसार	200	10x200= 2000

बजट 200/– रूपये प्रति दिवस प्रति व्यक्ति के रूप में निम्नानुसार व्यय होगा।

	व्यय रूपये प्रति संभागी
चाय नाश्ता, भोजन एवं पेयजल	140
टी.एल.एम./प्रोजेक्टर	10
आवास मानदेय एवं विविध खर्च	50
योग	200

उपरोक्त मदवार व्यय प्रस्तावित हैं तथा विशेष परिस्थितियों में मद का आपस में समायोजन किया जा सकता है।

www.rajteachers.com

7. इन प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले संभागियों का नियमानुसार दैनिक एवं यात्रा भत्ता अलग से देय होगा, जो संभागियों को स्वयं के जिला कार्यालय / विभाग द्वारा देय होगा।

8. जिलों द्वारा उक्त व्यय राशि की बुकिंग शिक्षण प्रशिक्षण के उप मद संस्थाप्रधान प्रशिक्षण मद में अनुमोदित राशि के विरूद्ध की जावेगी।

9. **विशेष** – वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जिलों से चयनित एसआरजी का प्रशिक्षण सीमेट, गोनेर, जयपुर द्वारा आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित एसआरजी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में गत वर्ष 2016–17 के सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा पीरामल फाउण्डेशन, बगड़ के माध्यम से दक्ष प्रशिक्षित एसआरजी को आवश्यकतानुसार सहयोगार्थ नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें, जिससें एच.एम लीडरशिप प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित की जा सके। इसके अतिरिक्त किसी भी संभागी को एसआरजी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए।

10. प्रशिक्षण में अकादमिक सत्रों का आयोजन न्यूपा मॉडयूल के आधार पर किया जाना है। सीमेट गोनेर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में प्रत्येक एसआरजी को मॉडयूल की प्रति परिषद् स्तर से उपलब्ध करवा दी गई है।

11. प्रशिक्षण आयोजन से एक दिवस पूर्व संभाग मुख्यालय के डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में जि.शि.अ. (प्रा.शि.)/डीपीसी /एडीपीसी/एसीपी (प्रशिक्षण) व एसआरजी की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाये, जिसमें समस्त तैयारियां यथा आयोजन स्थल की व्यवस्था, दक्ष प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बायोमेट्रिक मशीन इस्टांलेशन, प्रोजेक्टर, स्टेशनरी, चार्ट, पैन्सिल, स्केचपेन एवं अन्य सहायक सामग्री की उपलब्धता इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

12. प्रशिक्षणों में सर्व शिक्षा अभियान के प्रशिक्षण प्रभारी एवं डाइट के प्रशिक्षण प्रभारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रह कर तकनीकि एवं अकादमिक सहयोग प्रदान करेंगे एवं प्रशिक्षण के प्रत्येक दिवस का प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

13. जिले के जि.शि.अ. (प्रा.शि.), डाइट प्राचार्य, डाइट प्रशिक्षण प्रभारी, एडीपीसी (एसएसए), एपीसी प्रशिक्षण समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षणों की मॉनिटरिंग करेंगे एवं प्रशिक्षण की प्रगति की प्रतिदिन की उपस्थिति वीडियों क्लिपस् व फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन व संलग्न प्रारूप में सूचना नियमित रूप से परिषद के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेंगे।

14. जिला परियोजना समन्वयक एवम् प्रधानाचार्य डाइट, प्रशिक्षणों की गुणवत्ता हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. प्रथम दिवस अनुपस्थित रहने वाले संभागियों को आगामी दिवस प्रशिक्षण में सम्मिलित न किया जावे तथा अनुपस्थित रहने वाले संभागियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा जारी **आदेश क्रमांकः राप्राशिप/शि.प्र./2011–12/फा. 3/382 दिनांक 08 अप्रैल, 2011** के अनुसार (प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने के बाद भी जो संभागी प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होगें उनको अनुपस्थित मानते हुए उक्त अवधि का वेतन आहारित नहीं किया जाए। इनके विरूद्ध प्रकरण बनाकर सक्षम स्तर को प्रेषित किया जाए।

16. अनुपस्थित रहने वाले संभागियों की सूचना आवश्यक रूप से परिषद प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को मेल/दूरभाष पर दोपहर 12 बजे तक प्रेषित कि जाये, जिससे वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उचित निर्णय लिया जा सकें।

17. प्रशिक्षणों के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु प्रशिक्षण के विस्तृत दिशा–निर्देश (पत्रांक 1407 दिनांक 11.05.2016) के अनुसार प्रशिक्षण प्रभारी नियुक्त कर समस्त व्यवस्थाए सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण प्रभारी को आवासीय प्रशिक्षण के नियमानुसार मानदेय देय होगा।

18. इन प्रशिक्षणों को गम्भीरता से लिया जावें तथा जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान एवम् प्रधानाचार्य डाइट संयुक्त रूप से संभागियों (उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधान) सूची की समीक्षा, सत्यापन, कर 20 दिसम्बर 2017 तक परिषद कार्यालय को संभागियों (उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्थाप्रधानों) की सूची उपलब्ध करावें।

19. राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से दस एस.आर.जी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। जिसमें एक डाइट संकाय सम्मिलित है। प्रशिक्षण के प्रत्येक बैच/समुह में अधिकतम 50 संभागियों को सम्मिलित किया जाना है। प्रत्येक बैच में दो प्रशिक्षित एसआरजी को नियुक्त किया जाना है।

20. प्रशिक्षण समापन पश्चात परिषद द्वारा उपलब्ध नमूना प्रमाण पत्र का बहुरंगी, ए–4 साईज एवं 300 जीएसएम में मुद्रण करवाकर आयोजक जिले के डाईट प्राचार्य व जि.शि.अ. (प्रा.शि.) के द्वारा संभागियों को सयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिये जाने है। प्रमाण–पत्र पर व्यय राशि का समायोजन आयोजित जिले के सर्व शिक्षा अभियान के मुद्रण/प्रबन्धन मद से व्यय किया जाना है।

21. संभागियों को दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र प्रारूप परिषद स्तर से सॉफ्ट एव हार्ड प्रति में आपके कार्यालय को उपलब्ध कराये जाएंगे।

www.rajteachers.com

22. निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शिप्र/4483/TEAB/2017 दिनांक 04.05.17 के अनुसार ग्रीष्मावकाश में आमंत्रित समस्त संभागियों की उपस्थिति डाइट संस्थान के माध्यम से क्रय की गई थीं। इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि एसएसए के अन्तर्गत आयोजित समस्त आवासीय प्रशिक्षणों में आमंत्रित संभागियों की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रीक मशीन को उपयोग में लिया जाना है।

23. इस हेतु प्रत्येक चरण में संभागियों की उपस्थिति प्रातः 7:30 से 8:00 बजे के मध्य तथा रात्रि 8:30 बजे से 9:00 बजे के मध्य बायोमेट्रीक मशीन के माध्यम से दर्ज की जाएगी। प्रशिक्षण से लगभग सात दिवस पूर्व व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रीक मशीन का भौतिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी (Work Condition) होने का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया जाए।

24. प्रशिक्षण अवधि में परिषद के कन्ट्रोल रूम से दूरभाष नं. 0141-2708739 एवं मोबाइल नंम्बर 7300090098 पर समस्या समाधान हेतु हेल्पलाईन के रूप में सम्पर्क किया जा सकता है।

25. प्रशिक्षण को प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए मॉड्यूल में निर्धारित सत्रों के अतिरिक्त प्रातः योगा एवं सायंकालीन सत्रों में ई-कन्टेन, बेस्ट प्रेक्टिसेस (विडियो) एवं संभागियों की स्वयं प्रस्तुति को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए।

26. परिषद स्तर से उपलब्ध मॉड्यूल के अलावा अन्य किसी मॉड्यूल अथवा संस्थाओं के सत्रों को सम्मलित नहीं किया जाए।

27. प्रशिक्षण स्थल पर प्रभारी नियुक्त करते हुए संभागियो की उपस्थिति रजिस्टर में भी नियमित संघारण की जाए। साथ ही निम्नलिखित प्रपत्र में परिषद की प्रशिक्षिण अनुभाग को ई-मेल आईडी rajssa.training@gmail.com पर प्रेषित करें।

<u>दैनिक उपस्थिति प्रपत्र</u>

जिला .... लीडरशिप प्रशिक्षण दिनांक ....

प्रशिक्षण स्थल	आमंत्रित एसआरजी	उपस्थित एसआरजी	आमंत्रित संभागी	उपस्थित संभागी	
				प्रातः 8:00 तक	रात्रि 9:00 बजे तक

हस्ताक्षर (अति0 जिला परि0 सम0), एसएसए

28. प्रत्येक दिवस नियमित सत्रों की समाप्ति उपरान्त सत्रों की उपलब्धि संभागियों की सहभागिता एवं आगामी दिवस की योजना निमार्ण हेतु कोर समिति सदस्यों / एसआरजी सदस्यों की बैठक का आयोजन प्रशिक्षण स्थल पर ही सुनिश्चित किया जाए।

29. प्रशिक्षण प्रभावी मॉनीटरिंग एवं प्रत्येक स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु एपीसी (प्रशिक्षण), एसएसए द्वारा लीडरशिप प्रशिक्षण हेतु जिला स्तर पर एडमिन के रूप में WhatApp का ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें आमंत्रित सभी संभागियों, जिला स्तर के अधिकारियों को जोड़ा जाए।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

15/12

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांकः राप्राशिप/जय/प्रशिक्षण/2017-18/ 10608 दिनांक 15.12.2017.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप / रमसा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, (न्यूपा)।
5. निजी सचिव, निदेशक, एसआईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सीमेट, गोनेर, जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
8. श्री सर्वोत्तम पारीक, प्रोग्रामर, राप्राशिप, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रति को पोर्टल पर ऑन लाइन अपलोड करें।
9. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक, समस्त जिला।
10. प्रधानाचार्य डाईट समस्त जिला।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान समस्त जिले।
12. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त, प्रशिक्षण

www.rajteachers.com

संलग्न–1

2017-18 Leadership Training of Utkrist Vidhyalaya's H.M.

SN	Districts	No. of Head Teacher
1	AJMER	145
2	ALWAR	244
3	BANSWARA	111
4	BARAN	128
5	BARMER	156
6	BHARATPUR	165
7	BHILWARA	159
8	BIKANER	129
9	BUNDI	119
10	CHITTAURGARH	150
11	CHURU	159
12	DAUSA	145
13	DHAULPUR	97
14	DUNGARPUR	106
15	GANGANAGAR	165
16	HANUMANGARH	141
17	JAIPUR	320
18	JAISALMER	78
19	JALOR	117
20	JHALAWAR	139
21	JHUNJHUNU	268
22	JODHPUR	183
23	KARAULI	124
24	KOTA	118
25	NAGAUR	183
26	PALI	154
27	PRATAPGARH	112
28	RAJSAMAND	136
29	S.MADHOPUR	118
30	SIKAR	238
31	SIROHI	82
32	TONK	136
33	UDAIPUR	175
	TOTAL	**5000**

www.rajteachers.com

NATIONAL CENTRE FOR SCHOOL LEADERSHIP
NCSL
Every Child Learns
Every School Excels

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....

संस्था प्रधान, उत्कृष्ट विद्यालय .... ब्लॉक .... जिला ....

ने दिनांक .... से .... तक आयोजित दस दिवसीय

"नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण" (न्यूपा मॉड्यूल आधारित)

में .... दिवस उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

Rajasthan Council of Elementary Education

संयोजक	सह संयोजक	समन्वयक
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	प्रधानाचार्य, डाइट
जिला –	सर्व शिक्षा अभियान, जिला –	जिला – ....

www.rajteachers.com